संख्या–703/63व0उ0–2019–1174/2018

प्रेषक,

बी0 पी0 मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊः दिनांकः 18 जून, 2019

विषय :– "उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पॉलिसी–2017 के अन्तर्गत विदेश में आयोजित मेला/प्रदर्शनियो के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में "उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पालिसी–2017" निर्गत की गई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पॉलिसी–2017 के अन्तर्गत विदेश में आयोजित ऐसी 02 प्रदर्शनियां, जिन्हें भारत सरकार/विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा आयोजित कराया जाता है अथवा किसी भी भारतीय राज्य के निर्यात कौंसिल द्वारा आयोजित/प्रायोजित हथकरघा वस्त्र से सम्बन्धित प्रदर्शनियों में उत्तर प्रदेश के बुनकरों एवं बुनकर समितियों को प्रतिभाग कराने हेतु "एक संस्था से एक व्यक्ति के प्रतिभाग करने पर" कुल वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जायेगी। दोनो प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाली समितियों/इकाईया/समूहों/क्लस्टरों की कुल संख्या अधिकतम 20 होगी। प्रत्येक समिति/इकाई/समूह/क्लस्टर से मात्र 01 प्रतिभागी को प्रतिभागिता व्यय के 90 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस प्रकार किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 20 व्यक्तियों को प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने हेतु नामित किया जायेगा। इस सम्दन्ध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1–योजना का उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा वस्त्रों को प्रदर्शित करने और उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करने तथा विदेशों में हथकरघा वस्त्रों के प्रति जागरूकता एवं आकर्षण पैदा करने के लिए प्रदेश के बुनकरों/बुनकर समितियों/इकाईयों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले टेक्सटाइल फेयर में भ्रमण/सहभागिता कराकर उनके उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिकी कराया जायेगा। इस योजना से बुनकरों/बुनकर समितियों/इकाईयों को प्रदेश के विभिन्न भागों में उत्पादित होने वाले वस्त्रों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बाजार प्रवृत्तियों आदि के बारे में जानकारी करायी जायेगी, जिससे बुनकर/बुनकर समितियां/ इकाईयां प्रदेश में उत्पादित होने वाले उत्पादों में समाविष्ट करते हुए अपने उत्पादों का विकास एवं परिवर्तन कर इसे निर्यात योग्य बनाने का कार्य करेंगे। प्रस्तुत योजना के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले वस्त्रों के प्रदर्शनी एवं मेलों में बुनकरों/बुनकर समितियों/इकाईयों को भ्रमण/प्रतिभागिता कराकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न देशों के प्रदर्शित उत्पादों एवं उनकी बुनाई, रंगाई एवं डिजाइन के तकनीकी से उनको परिचित कराया जायेगा, जिससे बुनकर/बुनकर समितियां/इकाईयां अपने उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का तैयार कर निर्यात को बढ़ाने में सक्षम हो सके।अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों/मेलों के भ्रमण/सहभागिता कार्यक्रम हेतु प्रदेश के 10 हथकरघा बुनकरों/बुनकर समितियों/इकाईयों के समूहों को देश के बाहर किसी अन्य देश में आयोजित होने वाले वस्त्रों के मेले/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग कराने, निर्यात के अवसर प्राप्त करने एवं कलात्मकता, उत्पादन, विपणन कार्यकम, डिजाइन एवं तकनीकी आदि से परिचित कराने हेतु ले जाया जायेगा। जिससे प्रति बुनकरों/बुनकर समितियों/इकाईयों को यात्रा व्यय, स्टाल रेन्ट इत्यादि पर वास्तविक व्यय के आधार पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत की जायेगी। 10 हथकरघा बुनकरों एवं इकाईयों के समूह के सहयोग एवं अन्य व्यवस्था के लिए नामित दो वरिष्ठ अधिकारी भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के भ्रमण कार्यकम पर जायेंगे। प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न निर्यात कौंसिल द्वारा आयोजित प्रर्दशनियों/मेलों में हथकरघा के क्लस्टर एवं बुनकरों/बुनकर समितियों/इकाईयों/निर्यातकों को सहभागिता दिलायी जायेगी। ऐसे बुनकर/बुनकर समितियां/इकाई या निर्यातक जो किसी भी राष्ट्रीय स्तर की निर्यात कौंसिल अथवा उ0प्र0 राज्य निर्यात कौंसिल द्वारा आयोजित/प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की वस्त्र प्रदर्शनी, फेयर या इवेन्ट में प्रतिभाग करेंगे, उन्हें भी वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी। लाभार्थी को प्रतिपूर्ति धनराशि को प्राप्त करने हेतु इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल वाउचर के सापेक्ष कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा भविष्य में भी इसके सापेक्ष भुगतान नहीं प्राप्त किया जायेगा।

J.C.(HL)

DC (Text. Policy)

20/06

125
20/06/2019

2–विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों में भ्रमण/प्रतिभागिता

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के हथकरघा वस्त्रों के निर्यात के लिए वस्त्र एवं गारमेन्टिग नीति–2017 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नांकित पात्र होंगे।

2–(1)पात्रता

1–निर्यात योग्य हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन करने वाले बुनकर, मास्टर बुनकर, सहकारी समिति/वस्त्र से सम्बन्धित एस0एस0आई0 यूनिट/ निर्यातक जिनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष अधिकतम 60 वर्ष के मध्य हो।

2–निर्यात योग्य हथकरघा उत्पादों का उत्पादन करने वाले क्लस्टर।

3–हथकरघा वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी एक निर्यात कौंसिल में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा :–

- हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल (HEPC)
- काटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल (CTEPC)
- हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल (HHEPC)
- उ0प्र0 राज्य निर्यात प्रोमोशन कौंसिल

4–वस्त्र से सम्बन्धित कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय शो/फेयर/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु वैध पासपोर्ट का होना आवश्यक होगा।

3–सहायता का विवरण

योजना के अन्तर्गत बुनकर/इकाईयों/बुनकर समितियों/निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता हेतु निम्न विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

मद	दर
1–स्थानीय जनपद से एयरपोर्ट तक (प्रतिभाग करने वाले एक व्यक्ति के लिए) आने–जाने का रेलवे के ए0सी0 टू–टियर का किराया	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
2–हथकरघा वस्त्रों को एयरपोर्ट तक लाने का भाड़ा (रेलवे द्वारा निर्धारित माल भाड़े की दर के अनुसार देय)	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
3–हथकरघा वस्त्रों को देश से विदेश में ले जाने एवं शेष वस्त्रों को वापस लाने का वायुयान का भाड़ा	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
4–मेला/प्रदर्शनी वाले देश में प्रतिभाग करने वाले एक व्यक्ति का आने–जाने का वायुयान भाड़ा (इकोनामी क्लास)	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
5–मेला/प्रदर्शनी के स्टाल हेतु निर्धारित पंजीकरण शुल्क, स्टाल रेन्ट, विद्युत, फर्नीचर एवं अन्य स्टाल सम्बन्धी व्यय (अधिकतम 10 वर्ग मीटर का स्टाल)	वास्तविक व्यय का 90 प्रतिशत
6–अन्तिम रूप में बिल वाउचर प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति के रूप में धनराशि का भुगतान किया जायेगा।	

4–मेला/प्रदर्शनी में साथ जाने वाले विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

योजना के अन्तर्गत एक्सपोजर विजिट अन्तर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनी हेतु अधिकतम 02 नामित अधिकारियों को उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमन्य किये गये ठहरने, खाने एवं यात्रा भत्ता आदि का भुगतान योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट से किया जायेगा।

5–व्यय की प्रकिया

बजट प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त प्रतिभागी बुनकर/इकाईयों/बुनकर समितियों को निर्धारित मद में व्यय धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

6–उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषण

उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग पॉलिसी–2017 माध्यम से हथकरघा बुनकर/इकाईयों/बुनकर समितियों पर योजनान्तर्गत हुए व्यय धनराशि एवं लाभार्थियों की सूची सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पालिसी–2017 पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरान्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–236/63व0उ0–2018–155(एच)/2017 दिनांक 25.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित की गई है। प्रख्यापित नीति के पैरा 7.3 में विदेशों में आयोजित होने वाले 02 प्रदर्शनियों हेतु भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता दिये जाने आदि का प्राविधान किया गया है, जिसमें कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जायेगी। प्रख्यापित नीति के पैरा 7.3 में व्यवस्था के अनुरूप प्रतिभागियों को अनुमन्य सहायता एवं प्रदर्शनी के आयोजन सम्बन्धी उक्त दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में उक्त नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–344/63व0उ0–2018–155(एच)/17 दिनांक 12.02.2018 द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसके प्रस्तर–6.28 में इस सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है तथा इस सम्बन्ध में प्रतिभाग करने हेतु प्रारूप–15 ब निर्धारित है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0 पी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या–703(1)/63–व0उ0–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 पी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 432 /63-व0उ0-2018-36(एच)/2018

प्रेषक,

बी0 पी0 मिश्र
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांक: 06 ~~फरवरी~~ मार्च, 2018

विषय :- उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पॉलिसी-2017 में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दिये जाने के प्राविधानों को लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंन्टिग पॉलिसी-2017 में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दिये जाने के प्राविधानों को लागू करने के लिए अपेक्षित अधिसूचना का आलेख विधायी विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है।

2- यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त के अतिरिक्त नीति में विद्युत के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :-

(1) 3.3.3- Textile Industry parks and units consuming more electricity than a specified threshold will be permitted open acess as per Electricity Act, 2003.	प्रस्तर-3.3.3 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्युत अधिनियम-2003 के प्राविधानों के अनुसार पात्र उपभोक्ता को ओपेन एक्सेस लाने की व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है और इसे सुलभ बनाने के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर में ओपेन एक्सेस हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। इससे सम्बन्धित पत्र की प्रति संलग्न है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग उक्त व्यवस्था की जानकारी सभी इकाईयों को प्रदान करना चाहें।
(2) 3.3.4- Effort will be made to reduce power tariff by innovative methods like Time of the Day metering and harnessing of renewable sources especially in Bundelkhand.	प्रस्तर-3.3.4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि टाइम ऑफ द डे टैरिफ औद्योगिक ईकाईयों के लिए लागू है और इसे आगे भी जारी किये जाने की नीति है। बुन्देलखण्ड में रेन्यूएबल एनर्जी का उपभोग कर विद्युत दरों में कमी लाने का प्राविधान सौर ऊर्जा नीति-2017 में किया जा चुका है जिसको शीघ्र भविष्य में क्रियान्वित किया जायेगा।
(3) 3.3.5- It will be ensured that textile clusters/parks/units that consume more power than a specified threshold and have the facility of independent feeders, whether paid by them or not, are not subjected to power cuts as far as possible. No other loads will be connected to such independent feeders.	प्रस्तर-3.3.5 के सम्बन्ध में विद्युत वितरण निगमों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

J.C.(HL)/DC(Um)
कृ. नियमावली में शामिल करें।
आयुक्त एवं निदेशक
07/3

3- उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवस्था के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया है :-

1- प्रदेश में एक मेगावॉट से अधिक विद्युत मांग वाले उपभोक्ता ओपेन एक्सेस के लिए पात्र हैं।
2- स्वतन्त्र फीडर के लिए कम से कम विद्युत लोड 500 K.V.A. होना आवश्यक है।

4- उक्त स्थिति से कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0 पी0 मिश्र)
उप सचिव।

शिविर निदेशक (ह0क0)
डायरी सं0 354
दिनांक 07/3/18

473/63.द 3.2018

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 516/ 24-P-3-2018-9/2014, Dated 22 February, 2018.

NOTIFICATION

No. 516/24-P-3-2018-9 /2014
Lucknow Dated 22 February, 2018.

WHEREAS the Uttar Pradesh Handloom Powerloom, Silk Textile and Garmenting Policy, 2017 has been approved by the Cabinet in its meeting dated 26-12-2017.

AND WHEREAS it has been provided in para 3.3 (I-II) of the said Policy that all new units functional from the date of issuance of the aforesaid Policy shall be entitled for 100% exemption from electricity duty for a period of 10 years and Electricity produced by new textile units, from Captive Power Plants and used for self-consumption, will be exempt for 10 years from Electricity Duty;

J-C(HV)/D-C(Ulm)

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section-3 of the Uttar Pradesh Electricity (Duty) Act, 1952 (U.P. Act no. 33 of 1952) the Governor, having regard to the prevaling charges for supply of energy in any area of the State of Uttar Pradesh, the generating capacity of any part, the need to promote industrial production generally, is pleased to direct that all new Handloom, Powerloom, Silk, Textile units operational within 10 years of the issuance of the said policy shall be entitled for exemption from electricity duty for a period of 10 years in accordance with the aforesaid Policy.

आयुक्त एवं निदेशक 13/03

उप आयुक्त (नियोजन)

By Order

Alok Kumar
Principal Secretary.

119 15/03/18

अपर आयुक्त 14/03/18

mycomputer/d:drive/mm/allUO

शिविर निदेशक (ह०क०)
डायरी न० ...871......
दिनांक ...14/03/18...

श्री नवीन कुमार सिंह

15-3-18

No. and Date as above :-

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.
2. Secretary, Electricity Regulatory Commission, U.P., Lucknow.
3. Additional Chief Secretary, Handloom and Textile, Department, Uttar Pradesh Shashan.
4. Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd. / U.P Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow/ U.P. Jal Vidyut Nigam Ltd. Lucknow/ U.P. Power Transmission Ltd., Lucknow.
5. Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow/Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi/ Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut/Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra & Kanpur Electric Supply Company Limited (KESCO) Kanpur.
6. Officiating Director, Electrical Safety, U.P., Gomti Nagar, Lucknow.
7. Director, Printing & Stationary, Aishbagh, Lucknow along with a copy of English version of the Notification No. /XXIV-P-3-2018, Dated ,2018 with the instruction that please send 500 copies to the Government of the said Notification after publishing in upcoming issue of legislative appendix, part-(4), Sec.-(b) .

By Order,

(S.P. SINGH)
Joint Secretary.

संख्या–1403/63–व0उ0–2019–60(एच)/2016टी0सी–II

प्रेषक,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

लखनऊ : दिनांकः 04 दिसम्बर, 2019

विषयः– **पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में दिशॉ–निर्देश।**

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुंआ है कि बुनकरों को फलैट रेट पर विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के अनुभाग–3 शासनादेश संख्या–1969/24–पी–3–2006 दिनॉक 14.06.2006 को अवक्रमित करते हुये पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के कियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1–**योजना :–**

क–छोटे पावरलूम (0.5 अश्व शक्ति तक) बुनकरों को विद्युत बीजक उनके द्वारा की गयी खपत के आधार पर मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित संगत विद्युत उपभोक्ता श्रेणी यथा एल0एम0वी0–2 या एल0एम0वी0–6 की सामान्य दरों पर समस्त प्रभार/शुल्कों सहित, उनको अनुमन्य छूट प्रति माह 120 यूनिट प्रति लूम की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) समायोजित करते हुए निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

ख–प्रत्येक बड़े पावरलूम (1 अश्व शक्ति तक) बुनकरों को विद्युत बीजक उनके द्वारा की गयी खपत के आधार पर मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित संगत विद्युत उपभोक्ता श्रेणी यथा एल0एम0वी0–2 या एल0एम0वी0–6 की सामान्य दरों पर समस्त प्रभार/शुल्कों सहित, उनको अनुमन्य छूट प्रति माह 240 यूनिट प्रति लूम की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) समायोजित करते हुए निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

ग–पावरलूम की प्री–पावरलूम गतिविधियॉ एवं पोस्ट पावरलूम गतिविधियों यथा ताना मशीन, वाईन्डर, डबलर, कलेण्डर, बोबिन वाइन्डर, रीलिंग मशीन पर होने वाला विद्युत खपत भी उपरोक्त ''क'' एवं ''ख'' की अनुमन्य विद्युत सीमा 120 यूनिट एवं 240 यूनिट में शामिल माना जायेगा।

2–**लाभार्थियों की पात्रता एवं चयन की प्रकिया :–**

(i) यह योजना एल0एम0वी0–2(5 कि0वाट से कम भार) एवं एल0एम0वी0–6 तक (5कि0वा0 भार से 75 कि0वा0 भार तक) पावरलूम विद्युत कनेक्शन वाले केवल पावरलूम बुनकरों पर लागू होगी।

(ii) योजना का लाभ उन्हीं पावरलूम बुनकरों को अनुमन्य होगा, जिनको परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) द्वारा पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। नये पावरलूम बुनकरो को योजना का लाभ लेने से पूर्व परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा से पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण पत्र निर्गत कराना होगा। पावरलूम बुनकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण पत्र जारी करते समय

जारी/S.O.
4-12-2019

जारी
4-12-19

संख्या–1403/63–व0उ0–2019–60(एच)/2016टी0सी–II

प्रेषक,

रमा रमण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनांकः 04 दिसम्बर, 2019

विषयः– पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में दिशॉ–निर्देश।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुंआ है कि बुनकरों को फलैट रेट पर विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के अनुभाग–3 शासनादेश संख्या–1969/24–पी–3–2006 दिनॉक 14.06.2006 को अवक्रमित करते हुये पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के कियान्वयन सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1–योजना :–

क–छोटे पावरलूम (0.5 अश्व शक्ति तक) बुनकरों को विद्युत बीजक उनके द्वारा की गयी खपत के आधार पर मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित संगत विद्युत उपभोक्ता श्रेणी यथा एल0एम0वी0–2 या एल0एम0वी0–6 की सामान्य दरों पर समस्त प्रभार/शुल्कों सहित, उनको अनुमन्य छूट प्रति माह 120 यूनिट प्रति लूम की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) समायोजित करते हुए निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

ख–प्रत्येक बड़े पावरलूम (1 अश्व शक्ति तक) बुनकरों को विद्युत बीजक उनके द्वारा की गयी खपत के आधार पर मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित संगत विद्युत उपभोक्ता श्रेणी यथा एल0एम0वी0–2 या एल0एम0वी0–6 की सामान्य दरों पर समस्त प्रभार/शुल्कों सहित, उनको अनुमन्य छूट प्रति माह 240 यूनिट प्रति लूम की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति (सब्सिडी) समायोजित करते हुए निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

ग–पावरलूम की प्री–पावरलूम गतिविधियॉ एवं पोस्ट पावरलूम गतिविधियों यथा ताना मशीन, वाईन्डर, डबलर, कलेण्डर, बोबिन वाइन्डर, रीलिंग मशीन पर होने वाला विद्युत खपत भी उपरोक्त "क" एवं "ख" की अनुमन्य विद्युत सीमा 120 यूनिट एवं 240 यूनिट में शामिल माना जायेगा।

2–लाभार्थियों की पात्रता एवं चयन की प्रकिया :–

(i) यह योजना एल0एम0वी0–2(5 कि0वाट से कम भार) एवं एल0एम0वी0–6 तक (5कि0वा0 भार से 75 कि0वा0 भार तक) पावरलूम विद्युत कनेक्शन वाले केवल पावरलूम बुनकरों पर लागू होगी।

(ii) योजना का लाभ उन्हीं पावरलूम बुनकरों को अनुमन्य होगा, जिनको परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) द्वारा पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। नये पावरलूम बुनकरो को योजना का लाभ लेने से पूर्व परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा से पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण पत्र निर्गत कराना होगा। पावरलूम बुनकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) पावरलूम बुनकर होने का प्रमाण पत्र जारी करते समय

पावरलूम बुनकर का आधार कार्ड संख्या, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का आई एफ.एस.सी. कोड,मोबाइल नम्बर एवं पावरलूम की संख्या तथा अन्य वैयक्तिक सूचनायें प्राप्त करेंगे। पावरलूम बुनकरो के पास विद्युत विभाग में स्वय के नाम से विद्युत कनेक्शन होना अनिवार्य है।

(iii) जिन परिक्षेत्रों में पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिल में सब्सिडी प्रदान की जानी है, उस परिक्षेत्र से सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम (विद्युत विभाग) के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से विद्युत प्रतिपूर्ति का लाभ पा रहे पावरलूम बुनकरों की जनपदवार/ब्लाकवार/गॉववार/ मोहल्लावार सत्यापित सूची हथकरघा विभाग के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त प्राप्त करेंगे, जिसमें पावरलूमों की संख्या एवं विद्युत भार एवं विद्युत कनेक्शन नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(iv) पावरलूम बुनकरों के विद्युत प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में विद्युत विभाग से प्राप्त बुनकरों की सूची का सत्यापन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त अपने स्तर से भी करायेंगे।

(v) विद्युत विभाग से प्राप्त सूची का संयुक्त सत्यापन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त या उनके प्रतिनिधि एवं विद्युत विभाग द्वारा नामित कार्मिक द्वारा किया जायेगा। सत्यापन कराकर संशोधित सत्यापित सूची निर्धारित प्रारूप पर, जिसमें सम्बन्धित विद्युत विभाग के अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता एवं परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय को सत्यापित सूची संस्तुति सहित उपलब्ध करायेंगे।

(vi) विद्युत वितरण निगमों को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के संबंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा प्रस्तर–5 के अनुसार उपलब्ध करायी गयी सत्यापित लाभार्थी सूची के आधार पर विद्युत वितरण निगम अपने आनलाइन बिलिंग सिस्टम पर पावरलूम बुनकर का डाटा अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगें।

3–अनुदान के वितरण की प्रकियाः–

(i) विद्युत वितरण निगमों द्वारा पावरलूम बुनकर के विद्युत संयोजन पर सम्पूर्ण ऊर्जा का बीजक समस्त प्रभारों/शुल्को सहित मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर करते हुये 0.5 (आधा) अश्व शक्ति तक के पावरलूम बुनकर को अनुमन्य 120 यूनिट एवं 1.0 (एक) अश्व शक्ति तक के पावरलूम बुनकर को 240 यूनिट की सीमा तक रू0 3.50 प्रति यूनिट की दर से विद्युत दर में प्रतिपूर्ति करते हुये इनर्जी चार्ज एवं उससे अधिक यूनिटों को मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित एल0एम0वी0–2 या एल0एम0वी0–6 जो भी लागू हो के आधार पर इनर्जी चार्ज की दरों पर आगणित करते हुये पावरलूम बुनकरों के लिए निर्धारित अन्य समस्त प्रभारों/शुल्कों सहित बीजक निर्गत किया जायेगा। यदि खपत उपरोक्त वास्तविक सीमा से कम है तो वास्तविक खपत के अनुसार ही अनुदान योग्य यूनिट की गणना की जायेगी।

(ii) अनुमन्य अनुदान योग्य यूनिट पर रू0 3.50 (तीन रूपया पचास पैसे) प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दर में प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ के बैंक खाते में शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त हस्तॉंतरण की जायेगी।

4–**योजना प्रारम्भ की तिथि :–** यह योजना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू मानी जायेगी।

5– **योजना हेतु बजट/ धनराशि की मॉगः–** **(i)** सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कर धनराशि का आगणन कर पावरलूम बुनकरों को विद्युत प्रतिपूर्ति दिये जाने हेतु बजट की मांग हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय द्वारा शासन से की जायेगी।

(ii) उपलब्ध बजट सीमा में एक वर्ष की देय सब्सिडी को अगले वर्ष अग्रणीत नहीं किया जायेगा।

6–**व्यय की प्रकियाः–** बजट प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त पावरलूम बुनकरो को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति की धनराशि व्यय हेतु निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि चयनित पावरलूम बुनकरों के संबंधित विद्युत कनेक्शन खाता संख्या के सापेक्ष समायोजित करेगा। इस प्रकिया हेतु संबंधित विद्युत वितरण निगम अपने साफ्टवेयर में यह व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें।

.7–**सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रेषण :–** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर से प्राप्त धनराशि के अनुसार पावरलूम बुनकरों के विद्युत बिलों पर छूट प्रदान कर लाभार्थियों की सत्यापित सूची सहित सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर को उपलब्ध करायेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त (हथकरघा) कार्यालयों के माध्यम से उक्त सदुपयोगिता प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र संकलित कर उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमा रमण)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1403(1)/63–व0उ0–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– निदेशक, (वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन।
8 – गार्ड फाइल।

o/c

आज्ञा से

(बी0 पी0 मिश्र)
संयुक्त सचिव,

संख्या–1140/63–व0उ0–2018–26(एच)/2017

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ : दिनांकः 8 जून, 2018

विषय :– सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–74/ह0क0/विकास/2018–19 दिनांक 19.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना की गाइडलाइन्स एतद्द्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :–

1. **योजना का उद्देश्य–** हथकरघा बुनकरों में प्रतिस्पर्धा पैदा कर उन्हे उच्च किस्म के हथकरघा वस्त्र बनाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। हथकरघा बुनकरो को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने एवं गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। वर्तमान में बढती हुयी प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी विकास के अनुसार कपडो के विविधीकरण एवं बदलाव के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हथकरघा उद्योग में कार्यरत बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करने हेतु यह योजना कियान्वित की जा रही है।

2. **योजना का कार्यक्षेत्र–** यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू की जायेगी।

3. **आवेदन पत्र एवं सैम्पल प्रस्तुत करने की पात्रता** 1. व्यक्तिगत बुनकर 2. समिति का बुनकर 3. मास्टर बुनकर एवं व्यक्तिगत बुनकर संयुक्त रूप से 4. डिजाइनर एवं बुनकर संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सैम्पल आवेदनकर्ता द्वारा ही स्वयं का हथकरघा पर बुना हुआ होना चाहिए।

4. **योजना की रूपरेखा एवं लाभार्थियों को देय धनराशि** सर्वप्रथम परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ शिविर लगाकर पहले इस योजना का प्रचार–प्रसार पम्पलेट एवं पोस्टर वितरित कर करेंगे तदुपरान्त एक निश्चित अवधि के अन्दर सैम्पल जमा कराने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रचार–प्रसार करेंगे। परिक्षेत्रीय अधिकारी चयन से पूर्व स्कीनिंग करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेगें कि प्राप्त सैम्पल हथकरघा पर ही उत्पादित है। इसके उपरान्त परिक्षेत्रीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परिक्षेत्र स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति की बैठक कराकर प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का चयन कराया जायेगा । उसके उपरान्त परिक्षेत्र स्तरीय चयन समिति की कार्यवृत्त एवं सम्पूर्ण विवरण के साथ पुरस्कृत सैम्पल राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशालय भेजा जायेगा।

JC(HL)/DC (Plan)

परिक्षेत्र स्तरीय हथकरघा पुरस्कार की देय धनराशि :–

परिक्षेत्रीय स्तर पर चयनित बुनकरों को पुरस्कृत करने हेतु नकद धनराशि के लिये निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :–

पुरस्कार श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि	परिक्षेत्रो में चयनित किये गये बुनकरो की संख्या	परिक्षेत्र स्तरीय पुरस्कार की कुल धनराशि
प्रथम	रू0 20,000/–	बुनकर सं0–13	रू0 2,60,000/–
द्वितीय	रू0 15,000/–	बुनकर सं0–13	रू0 1,95,000/–
तृतीय	रू. 10,000/–	बुनकर सं0–13	रू0 1,30,000/–
कुल योग–		बुनकर सं0–39	रू0 5,85,000/–

आयुक्त एवं निदेशक 11/06

शिविर निदेशक (ह0व0) डायरी नं0 203 दिनांक 11/06/18

D.C (Plan)

श्री सुनील सिंह

484 12-6-18

परिक्षेत्र स्तर पर चयनित बुनकरो को पुरस्कार की नकद धनराशि के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम् तथा प्रमाण–पत्र प्रदान कर बुनकरो को सम्मानित किया जायेगा।

राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार

राज्य स्तरीय पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जायेगा । राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु निदेशालय को प्राप्त सैम्पुल को चार श्रेणी में रखा जायेगा।

श्रेणी–1– साडी, ब्रोकेड, ड्रेस मेटीरियल
श्रेणी–2– सूती दरी, ऊलेन दरी, आसनी एवं दरेट
श्रेणी–3– वेडशीट, वेड कवर, होम फर्नीशिंग
श्रेणी–4– स्टोल, स्कार्फ, गमछा व अन्य

राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार में चयनित बुनकरों को सम्मानित करने हेतु नकद धनराशि की व्यवस्था निम्नानुसार होगी :–

पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कृत धनराशि	चयनित किये गये बुनकरों की संख्या	पुरस्कृत कुल धनराशि
प्रथम	रू0 1,00,000/–	बुनकर संख्या–04	रू0 4,00,000/–
द्वितीय	रू0 50,000/–	बुनकर संख्या–04	रू0 2,00,000/–
तृतीय	रू. 25,000/–	बुनकर संख्या–04	रू0 1,00,000/–
कुल योग–		बुनकर संख्या–12	रू0 7,00,000/–

राज्य स्तरीय पुरस्कार की नकद धनराशि के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम् तथा प्रमाण–पत्र प्रदान कर बुनकरो को सम्मानित किया जायेगा।

1–परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित बुनकरों की संख्या= 39+12 = 51

2–परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार की कुल धनराशि=रू0 5,85,000.00+7,00,000.00 = 12,85,000.00

5. **योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रकिया–**

परिक्षेत्रीय अधिकारियों से स्क्रीनिंग के उपरान्त परिक्षेत्र स्तर की कमेटी द्वारा चयन कर संस्तुत किए गये आवेदन पत्रों को राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। राज्य स्तर के पुरस्कार चयन में सम्मिलित करने हेतु बुनकर/डिजाइनर/मास्टर वीवर्स अपने सैम्पल सीधे निदेशालय को भेज सकते है। डिजाइनर व बुनकर दोनो संयुक्त रूप से अपने सैम्पल निदेशालय भेज सकते हैं । संयुक्त रूप मे भेजे गये सैम्पुल के चयनित होने की दशा में पुरस्कार की नकद राशि दोनो में आधी–आधी देय होगी। आवेदन पत्र विभागीय (etanabanaup.in) पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

6. **पुरस्कार चयन का मानक–**

परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन के समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा। बुनकरों की प्रारम्भिक पृष्ठभूमि तथा हथकरघा के क्षेत्र में विशेष योगदान जैसे–डिजाइन, वीविंगटेक्निक, रंगों का संयोजन एवं उपयोग तथा प्रोसेसिंग आदि। डिजाइन तथा उत्पादन विकास (विशेष रूप से निर्यात के योग्य वस्त्र)। हथकरघा उत्पाद में विविधीकरण तथा हथकरघा उद्योग के विकास के क्षेत्र में किए गये कार्यों का विवरण। न्यूज पेपर/अन्य किसी माध्यम के द्वारा बुनकर का प्रचार–प्रसार एवं प्रगति विवरण।

7. **परिक्षेत्र स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति–**

अ–संरचना– परिक्षेत्रीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति की संरचना निम्नवत् होगी :–

1–सम्बन्धित परिक्षेत्रीय मुख्यालय जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–संयुक्त निदेशक उद्योग	सदस्य
3–सम्बन्धित परिक्षेत्रीय जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित दो बुनकर प्रतिनिधि	सदस्य
4–क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपिका	सदस्य
5–प्रोजेक्ट आफीसर/आर0एम0एम0,उ0प्र0राज्य हथकरघा निगम	सदस्य
6–प्रभारी अधिकारी बुनकर सेवा केन्द्र(समीपस्थ)	सदस्य
7–परिक्षेत्रीय सह आयुक्त हथकरघा	संयोजक/सदस्य

ब–कार्य एवं दायित्व– पुरस्कार हेतु सम्बन्धित बुनकरों के उत्पादों का चयन परिक्षेत्रीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र एवं सैम्पल का निरीक्षण व परीक्षण कर चयन समिति द्वारा परिक्षेत्र स्तर के प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का चयन किया जायेगा। सहायक आयुक्त हथकरघा परिक्षेत्र स्तर पर चयनित सैम्पुल एवं कार्यवृत्त, जिस पर चयन समिति की सहमति एवं संस्तुति हो, को राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु (राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन की कार्यवाही हेतु) निदेशालय प्रेषित किया जायेगा।

8. **राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति–**

अ–संरचना– राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होगें :–

1–प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	अध्यक्ष
2–आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,उ0प्र0	उपाध्यक्ष
3–मा0 मंत्री जी द्वारा नामित 02 बुनकर सदस्य	सदस्य
4–प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, सर्वोदयनगर, कानपुर	सदस्य
5–प्रबन्ध निदेशक, हथकरघा निगम , कानपुर	सदस्य
6–राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट, कानपुर	सदस्य
7–निदेशक इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ हैण्डलूम टेक्नालाजी वाराणसी	सदस्य
8–प्रभारी अधिकारी बुनकर सेवा केन्द्र वाराणसी/मेरठ	सदस्य
9–योजनाधिकारी, हथकरघा निदेशालय	संयोजक/सदस्य

ब–कार्य एवं दायित्व–परिक्षेत्रीय चयन समिति द्वारा चयनित बुनकरों के सैम्पुलों को राज्य स्तर पर 04 श्रेणियों में चयन किए जाने का दायित्व होगा । इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु निदेशालय को सीधे उपलब्ध कराये गये सैम्पुल को भी विभिन्न श्रेणी के पुरस्कार हेतु चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। दोनो तरीके से प्राप्त आवेदन पत्र एवं सैम्पुल को निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा जायेगा :–

श्रेणी–1–साड़ी,ब्रोकेड, ड्रेस मैटेरियल।
श्रेणी–2 सूती दरी, ऊलेन दरी एवं दरेट, आसनी।
श्रेणी–3 बेडशीट, बेडकवर, होम फर्निशिंग।
श्रेणी–4 स्टोल, स्कार्फ, गमछा व अन्य।

राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा उपरोक्त चारो श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार अर्थात 12 सैम्पुलों का चयन राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु किया जायेगा ।(चारो श्रेणियो के लिये अलग–अलग राज्य स्तरीय पुरस्कार का चयन किया जायेगा।)

9. **कियान्वयन की व्यवस्था**

परिक्षेत्रीय अधिकारियों से स्क्रीनिंग के उपरान्त परिक्षेत्र स्तर की कमेटी द्वारा चयनित एवं संस्तुत किए गये आवेदन पत्रों को राज्य पुरस्कार चयन कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। राज्य स्तर में चयन करने हेतु सीधे बुनकर/ डिजाइनर/मास्टर वीवर्स अपने सैम्पल निदेशालय को भेज सकते हैं। आवेदन पत्र etanabanaup.in पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

10. **योजना का प्रचार – प्रसार**

योजना का प्रचार–प्रसार ख्याति प्राप्त समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। योजना के प्रचार–प्रसार हेतु पम्पलेट, पोस्टर आदि जिसमें सैम्पल जमा करने की समय–सारिणी एवं आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि अंकित होगी को बुनकरो के मध्य वितिरत कराया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष धनराशि रू0 2.00 लाख की आवश्यकता होगी।

11. **पुरस्कार वितरण कार्यकम का आयोजन**

राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति के स्तर पर चयन प्रकिया पूर्ण होने के बाद परिक्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं के लिए प्रमुख सचिव हथकरघा , उत्तर प्रदेश शासन, एवं आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा के संयुक्त हस्ताक्षर से अलग–अलग प्रमाण पत्र निर्गत कराया जायेगा। शासन स्तर से उपयुक्त तिथि निर्धारित कराकर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यकम का भव्य आयोजन कराकर परिक्षेत्र स्तर एवं राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं को एक साथ प्रमाण–पत्र, शील्ड, अंगवस्त्रम् एवं नकद धनराशि प्रदान कर पुरस्कृत किया जायेगा।

12. **योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था**

1–परिक्षेत्र स्तरीय पुरस्कार की नगद धनराशि –	रू0 5,85,000.00
2–राज्य स्तरीय पुरस्कार की नगद धनराशि	रू0 7,00,000.00
3–योजना के प्रचार–प्रसार हेतु धनराशि	रू0 2,00,000.00
4–परिक्षेत्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति द्वारा चयनित बुनकरों को शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण–पत्र एवं आयोजन पर व्यय	रू0 5,00,000.00
कुल योग –	रू0 19,85,000.00

13. **उपयोगिता प्रमाण –पत्र प्रेषण :–**

पुरस्कार वितरण कार्यकम का आयोजन कराकर योजनान्तर्गत शासन से स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप 42-I पर शासन को प्रेषित किया जायेगा ।

7.6.18

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1140(1)/63–व0उ0–2018, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गोपन अनुभाग–1 के अशासकीय संख्या–4/2/21/2018–सी0एक्स0(1) दिनांक 06 जून 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव।